संख्या-14/2017/232/41-2017-22 यो0/16

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 23 मार्च, 2017**

विषय- भारत सरकार के प्रासाद योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी की योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-10008/6-1-1-प्रासाद वाराणसी/2017, दिनांक 08-03-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रासाद योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी की निम्न योजनाओं हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए क्रमशः **(1)** वाराणसी के सारनाथ में स्थित बुद्धा थीम पार्क के पयर्टन विकास के कार्य हेतु रू0 256.39 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 51.28 लाख की वित्तीय **(2)** वाराणसी के सारनाथ में स्थित सारंगनाथ तालाब के सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु रू0 291.42 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 58.36 लाख की वित्तीय **(3)** वाराणसी के गुरूधाम मन्दिर के पर्यटन विकास के कार्य हेतु रू0 82.08 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 16.41 लाख की वित्तीय **(4)** वाराणसी के कैथी में स्थित मारकण्डेय महादेव मन्दिर का पर्यटन विकास हेतु रू0 302.71 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 60.54 लाख की वित्तीय तथा **(5)** वाराणसी की तहसील सदर के अन्तर्गत गंगा नदी के बायें तट पर ग्राम कैथी में मारकण्डेय महादेव घाट का निर्माण एवं स्थल का पर्यटन विकास हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रू0 408.20 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 81.64 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 62/2016/764/41-2016-22 यो0/16, दिनांक 24.05.2016 द्वारा प्रदान की गयी है।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रासाद योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी की योजनाओं हेतु द्वितीय किश्त के रूप में क्रमशः **(1)** वाराणसी के सारनाथ में स्थित बुद्धा थीम पार्क के पयर्टन विकास के कार्य हेतु रू0 102.56 लाख **(2)** वाराणसी के सारनाथ में स्थित सारंगनाथ तालाब के सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु रू0 116.72 लाख **(3)** वाराणसी के गुरूधाम मन्दिर के पर्यटन विकास के कार्य हेतु रू0 32.82 लाख **(4)** वाराणसी के कैथी में स्थित मारकण्डेय महादेव मन्दिर का पर्यटन विकास हेतु रू0 121.08 लाख तथा **(5)** वाराणसी की तहसील सदर के अन्तर्गत गंगा नदी के बायें तट पर ग्राम कैथी में मारकण्डेय महादेव घाट का निर्माण एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थल का पर्यटन विकास हेतु रू0 163.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पर्यटन मंत्रालय (प्रासाद डिवीजन), भारत सरकार के स्वीकृत पत्र सं0 5-प्रासाद (11)/2015, दिनांक 17-03-2016 में उल्लिखित कार्यमद/लागत एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही इस सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा निर्गत अन्य आदेशों/निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2) उक्त प्रायोजनाओं का कार्य सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्यों हेतु पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(5) प्रश्नगत योजना की वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे आवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(6) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत की जा रही धनराशि अप्रयुक्त/शेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पतियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) योजना का अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4. उक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/20156/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22-03-2016 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक-26 अगस्त, 2014 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-14/2017/232 (1)/41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
7- मुख्य अभियन्ता, (सोन) सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी।
8- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, वाराणसी इकाई-2, वाराणसी।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in